वित्त मंत्रालय

राजस्व निदेशालय ने 11.94 किलोग्राम हेरोइन जब्त की और इसमें शामिल 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया

प्रविष्टि तिथि: 15 FEB 2023 6:37PM by PIB Delhi

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कल केन्या एयरवेज के माध्यम से नैरोबी के रास्ते होते हुए हरारे से मुंबई आने वाली एक भारतीय महिला यात्री को रोका। उसके सामान की जांच के परिणामस्वरूप 11.94 कि.ग्रा. क्रीम रंग के दाने बरामद हुए और फिर इन्हें जब्त किया गया। नारकोटिक्स फील्ड टेस्टिंग किट द्वारा इनका परीक्षण किये जाने के बाद इस पदार्थ में "हेरोइन" की उपस्थिति का पता चला, जो एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत आने वाला एक मादक पदार्थ है।

जब्त किये गए एनडीपीएस पदार्थ का कुल भार 11.94 किलोग्राम है और उसकी अवैध बाजार में कीमत लगभग 84 करोड़ रुपये है। मादक पदार्थ को बड़ी चालाकी से ट्रॉली बैग और फाइल फोल्डर के अंदर छुपाया गया था।

यात्री ने बताया कि ड्रग्स उसे हरारे में सौंपा गया था और इसे मुंबई में दो व्यक्तियों को दिया जाना था। राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों व्यक्तियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जो मुंबई हवाई अड्डे के बाहर से यात्री को तथा प्रतिबंधित सामान लेने आए थे।

अन्य 2 प्राप्तकर्ताओं के साथ यात्री को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच चल रही है।

****

एमजी/एएम/एनके/डीवी

(रिलीज़ आईडी: 1899637) आगंतुक पटल : 304

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Telugu , English , Urdu , Marathi , Punjabi